

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-547/श्री रामानन्द झा, भा०प्र०से०, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को उनके कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएसन की धारा 75(1) एवं 82(1) के अधीन निगम के निदेशक पद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-\_\_\_\_\_/दिनांक-

सं०सं०-6(स०)नि०प०/सा०वि०नि०/3/2001

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु०- सी०डी०

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-\_\_\_\_\_/दिनांक-

सं०सं०-6(स०)नि०प०/सा०वि०नि०-3/2001

प्रतिलिपि:- श्री रामानन्द झा, भा०प्र०से०, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-547/दिनांक-

सं०सं०-6(स०)नि०प०/सा०वि०नि०-3/2001

प्रतिलिपि:-

- 1.मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव ।
- 2.वित्त विभाग, (लोक उद्यम ब्यूरो) बिहार, पटना ।
- 3.सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना ।
- 4.रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मौर्यालोक कम्पलेक्स, डाकबंगला रोड, पटना।
- 5.अध्यक्ष, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि०, पटना ।
- 6.उद्योग मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव ।
- 7.प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
- 8.निदेशक उद्योग/ तकनीकी विकास, बिहार, पटना ।
- 9.बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम, पटना ।
- 10.प्रशाखा पदाधिकारी -6(स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05.02.13

सरकार के अवर सचिव ।